



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2017/ चैत्र 6, 1939

No. 111]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2017/CHAITRA 6, 1939

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

गांधीनगर, 23 मार्च, 2017

सं. 2-4/2009-प्रशा./7555.—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

3. अध्यादेश चयन समिति प्रक्रिया से संबंधित [देखिये संविधि 18 (4) के विधियों को]*

1. कुलपति, या उसकी अनुपस्थिति में प्रो वाइस चांसलर, चयन समिति का अध्यक्ष होगा और चयन समिति की बैठक का आयोजन और अध्यक्षता करेगा:

बशर्ते कि चयन समिति की बैठक के साथ पूर्व परामर्श के बाद तय किया जाएगा और विज़िटर के उम्मीदवार की सुविधा होने पर और विशेषज्ञ कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा।

2. रजिस्ट्रार, और जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त है, डिप्टी रजिस्ट्रार प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नामित होगा, चयन समिति के पदेन सचिव होंगे, लेकिन एक सदस्य के रूप में उसे समझा नहीं जाएगा।

3. आमतौर पर कम से कम 15 दिन का नोटिस चयन समिति की बैठक आयोजित करने के लिए दी जाएगी।

4. चयन समिति की कार्यवाही जब तक कि मान्य नहीं होगा -

(क) जहां विज़िटर के उम्मीदवार की संख्या और कार्यकारी परिषद द्वारा नामित व्यक्ति सभी में से चार है, उनमें से कम से कम तीन को बैठक में भाग लेना है; तथा

(ख) जहां विज़िटर के उम्मीदवार की संख्या और कार्यकारी परिषद द्वारा नामित व्यक्ति सभी में से तीन बैठक में भाग लेने है, उनमें से कम से कम दो को भाग लेना है।

5. चयन समिति के अध्यक्ष को बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा और होगा और मत बराबर होने के मामले में उसका मत एक निर्णायक मत होगा।
6. चयन समिति की बैठक के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा या इस तरह के अन्य जगह पर जैसा कुलपति चाहे या उसकी अनुपस्थिति प्रो वाइस चांसलर फैसला कर सकते हैं।
7. चयन समिति विचार करेगा और कार्यकारी परिषद के सिफारिशों को प्रस्तुत करेगा जैसा नियुक्ति में कहा जाता है।
8. चयन समिति के अध्यक्ष शक्ति की प्रक्रिया को जिसे अध्यादेश से नहीं कवर किया जा सकता है अपने अधीन रखेगा।

08- अध्यादेश स्कूल अध्ययन के डीन के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित

[देखिये विधियों के संविधि 5 (3)]

1. डीन स्कूल के प्रमुख होगा और आचरण और स्कूल में शिक्षण और अनुसंधान के मानकों के रखरखाव के प्रति जिम्मेदार होंगे।
2. डीन स्कूल बोर्ड और एडवांस्ड स्टडीज के लिए समिति और स्कूल के अनुसंधान का अध्यक्ष होगा।
3. डीन को किसी भी बैठक में उपस्थित होने के लिए और अध्ययन या स्कूल की समितियों के बोर्ड में बात करने के लिए अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो, लेकिन उस समय मतदान करने के लिए जब तक उसका वह एक सदस्य है अधिकार नहीं होगा।
4. अध्ययन के स्कूल के डीन करेगा:
 - (क) विभागों / केन्द्रों के प्रमुखों/ अध्यक्षों के माध्यम से समन्वय और आम तौर पर स्कूल में शिक्षण और अनुसंधान के काम की निगरानी;
 - (ख) विभागों / केन्द्रों के प्रमुखों/ अध्यक्षों के माध्यम से क्लास रूम और प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखने के,
 - (ग) सत्रीय कार्य की और व्याख्यान, ट्यूटोरियल, सेमिनार या प्रैक्टिकल में छात्रों की उपस्थिति का मूल्यांकन के रिकार्ड रखना, जब इनका निर्धारण कर रहे हैं,
 - (घ) इस तरह के निर्देशों जैसा शैक्षणिक परिषद द्वारा दी जा सकती है के अनुसार स्कूल के छात्रों के संबंध में विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए व्यवस्था, तथा
 - (ङ.) इस तरह के अन्य शैक्षणिक कर्तव्यों का पालन जैसा कुलपति, शैक्षणिक परिषद और कार्यकारी परिषद द्वारा उसे/उसे करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता।

10. अध्यादेश नियुक्तियों के लिए संबंधित कानून 19(2) के तहत

निम्नलिखित को छोड़कर विश्वविद्यालय के नियुक्त शिक्षकों के लिए सेवा की सभी शर्तों द्वारा नियंत्रित संविधि 19 (2) तहत नियुक्त शिक्षकों को कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाएगा:

- (i) वे अतिरिक्त वेतन वृद्धि की एक निश्चित संख्या के बराबर राशि के हकदार हो जाएगा, लेकिन दो से कम नहीं, स्टेशन भत्ता के परिवर्तन के रूप में नियुक्ति करने (टीए हस्तांतरण पर), जबकि कार्यकारी परिषद द्वारा निर्णय लिया जाना है,
- (ii) वे विश्राम या अध्ययन अवकाश के लिए हकदार नहीं होगा,
- (iii) अपने काम परियोजनाओं से संबंधित वे छुट्टी के लिए हकदार नहीं होंगे,
- (iv) वे प्रशासनिक पदों के लिए हकदार नहीं होंगे विभाग/केन्द्र के प्रमुख/अध्यक्ष, डीन आदि

- (v) वे विश्वविद्यालय के किसी भी वैधानिक निकाय के सदस्यों के होने का हकदार नहीं होंगे, लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे, यदि आवश्यक हो,
- (vi) कार्यकारी परिषद, अगर यह आवश्यक समझे, नियुक्ति के किसी भी अन्य शर्तों प्रदान करता है और/या नियुक्त शिक्षकों को लाभ दिया जा सकता है, अधिनियम और प्रविधि के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत नहीं हो।

प्रो. एस. एल. हीरेमठ, कुल सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./481/16]

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 23rd March, 2017

No. 2-4/2009-Admn./7555.—The following is published for general information:—

3. ORDINANCE RELATING TO SELECTION COMMITTEE PROCEDURE

[Ref. Statute 18(4) of the Statutes]

1. The Vice-Chancellor, or in his absence the Pro Vice-Chancellor, shall be the Chairperson of the Selection Committee and shall convene and preside at the meeting of the Selection Committee:
Provided that the meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and the experts nominated by the Executive Council.
2. The Registrar, and while the office of the Registrar is vacant, the Deputy Registrar nominated by the Vice-Chancellor for the purpose, shall be the ex-officio Secretary of the Selection Committee, but shall not be deemed to be a member thereof.
3. Ordinarily not less than 15 days' notice shall be given for holding a meeting of the Selection Committee.
4. The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless, -
(a) where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Executive Council is four in all, at least three of them attend the meeting; and
(b) where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Executive Council is three in all, at least two of them attend the meeting.
5. The Chairperson of the Selection Committee shall be entitled to vote at the meeting and shall have, and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.
6. The meeting of Selection Committee shall be held at Gandhinagar or at such other place as the Vice-Chancellor, or in his absence the Pro Vice-Chancellor, may decide.
7. The Selection Committee shall consider and submit to the Executive Council recommendations as to the appointment referred to it.
8. The Chairperson of the Selection Committee shall have the power to lay down the procedure in respect of any matter not covered by this Ordinance.

08. ORDINANCE RELATING TO THE POWERS AND DUTIES OF THE DEAN OF THE SCHOOL OF STUDIES

[Ref. Statute 5(3) of the Statutes]

1. The Dean shall be the Head of the School and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the School.

2. The Dean shall be the Chairperson of the School Board and the Committee for Advanced Studies and Research of the School.
3. The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Boards of Studies or Committees of the School, as the case may be, but shall not have the right to vote thereat unless he is a member thereof.
4. The Dean of a School of Studies shall :
 - (a) coordinate and generally supervise the teaching and research work in the School through Heads/Chairpersons of the Departments/Centers;
 - (b) maintain discipline in the class rooms and laboratories through the Heads/Chairpersons of the Departments/Centers;
 - (c) keep a record of the evaluation of sessional work and of the attendance of the students at lectures, tutorials, seminars or practicals, when these are prescribed;
 - (d) arrange for the examination of the University in respect of the students of the School in accordance with such directions as may be given by the Academic Council; and
 - (e) perform such other academic duties as may be assigned to him/her by the Vice-Chancellor, Academic Council, and the Executive Council.

10. ORDINANCE RELATING TO APPOINTMENTS MADE UNDER STATUTE 19(2)

Teachers appointed by the Executive Council under Statute 19(2) shall be governed by all the conditions of service for appointed teachers of the University except the following:

- i. They shall be entitled to an amount equivalent to a certain number of additional increments, but not less than two, to be decided by the Executive Council while making the appointment as change of station allowance (TA on transfer);
- ii. They shall not be entitled for sabbatical or study leave;
- iii. They shall not be entitled for vacation as their work relates to projects;
- iv. They shall not be entitled to the administrative positions like Head/Chairperson of the Department/Centre, Dean etc.
- v. They shall not be entitled to be the members of any Statutory Body of the University, but shall be special invitees, if necessary;
- vi. The Executive Council may, if it deems necessary, provide any other conditions of appointment and/or benefits to be given to such appointed teachers, not inconsistent with any provision of the Act and Statutes.

Prof. S. L. HIREMATH, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./481/16]